

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5110 /

जबलपुर, दिनांक 06 / 07 / 2024

II-14-71/24

श्री अरुण सिंह, जूनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को हाथ में फ़ेक्चर होने के कारण दिनांक 23.03.2024 एक दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24.03.2024 से 27.04.2024 तक 35 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/5111 /

जबलपुर, दिनांक 06 / 07 / 2024


II-14-71/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन No. 2920/Estt. Gwalior दिनांक 07 / 06 / 2024 के संदर्भ में श्री अरुण सिंह, जूनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का निर्धारित प्रपत्र, अनफिट-फिटनेश चिकित्सा प्रमाण पत्र मूलतः एवं डिस्चार्ज सर्मरी को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)